4. मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला—रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
5. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय/वृत्त—रायपुर/वृत्त—नवा रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/अंबिकापुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला—रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
7. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संभाग—01,02,03,04, रायपुर/ राजधानी परियोजना संभाग—01,02 नवा रायपुर/दुर्ग/राजनांदगांव/कवर्धा/बिलासपुर/ रायगढ़/कोरबा/अंबिकापुर/कोण्डागांव/जगदलपुर/धमतरी/महासमुन्द/कोरिया की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला—रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
9. वास्तुविद, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला—रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
10. संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र—01,02,03,04 रायपुर/प्रक्षेत्र—राजधानी परियोजना—रायपुर/दुर्ग/राजनांदगांव/कवर्धा/ बिलासपुर /रायगढ़/कोरबा/अंबिकापुर/कोण्डागांव/जगदलपुर/धमतरी /महासमुन्द/कोरिया की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. सपदा अधिकारी (प्रभारी), छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला—रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ
12. प्रभारी एन.आई.सी., छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला—रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ
13. आदेश नस्ती/गार्ड फाईल।

30/3/2021

मुख्य संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय, पर्यावास भवन, नवा रायपुर
अटल नगर जिला—रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

मुख्यालय, पर्यावास भवन, नॉर्थ ब्लॉक सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर जिला–रायपुर (छ.ग.)
Ph.No.-0771-2512121, Website:-www.cghb.gov.in

// परिपत्र //

क्रमांक – 05

दिनांक 30/03/2021

विषयः–मण्डल की आबंटित आवासीय संपत्ति में बिना नामांतरण के निवासरत व्यक्तियों के प्रकरण नियमितीकरण के संबंध में।

———000———

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 42 वॉ मण्डल सम्मेलन दिनांक 27.01.2014 की पद संख्या क्रमांक–10 पर पारित संकल्प क्र.–1190/10/42/01/2014 दिनांक 27.01.2014 के परिपालन में निर्देशित किया जाता है, कि मण्डल की आवासीय सम्पत्ति में बिना नामान्तर के निवासरत् व्यक्तियों के प्रकरण को नियमितीकरण करने हेतु परिपत्र क्रमांक 01/2014 दिनांक 03.03.2014 जारी किया गया था, जिसकी वैद्यता दिनांक 31.03.2014 की स्थिति में समाप्त हो चुकी है। पुनः उक्त प्रकरण को मण्डल की स्वीकृति की प्रत्याशा में दिनांक 30.06.2021 तक वृद्धि की जाती है। संपदा प्रबंधन मुख्यालय रायपुर से जारी परिपत्र क्रमांक 01/2014, दिनांक 03.03.2014 की अन्य कंडिकाएँ यथावत् रहेगी।

अतः नियमानुसार संबंधित वैद्य दस्तावेज परीक्षण पश्चात् हस्तांतरण/नामांतरण शुल्क जमा करवाकर नियमितीकरण करने एवं मण्डल के हितों को ध्यान में रखते हुए विशेष अभियान के तहत् दिनांक 30.06.2021 तक कार्यवाही की जावे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील हो।

(आयुक्त महोदय के आदेशानुसार)

30/3/2021

मुख्य संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय, पर्यावास भवन, नवा रायपुर
अटल नगर जिला–रायपुर

पृ.क्र. 642/सं.प्र.शा./मु.सं.अ./मुख्या/एफ 315/21 नवा रायपुर, दिनॉक.30/03/2021

प्रतिलिपिः–

1. स्टॉफ ऑफिसर, माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
2. स्टॉफ ऑफिसर, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
3. अपर आयुक्त,(जे/व्ही/पी), छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रक्षेत्र–दुर्ग/रायपुर/नवा रायपुर/बिलासपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

क्रमशः–02